न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 190/2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 मृतक गोविन्दराम पुत्र खेतसिंह जाति राजपुत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

1/1 श्रीमती कौशल्या देवी आयु 75 वर्ष पत्नी गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

1/2 बिमला आयु 54 वर्ष पुत्री गोविन्द सिंह पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बादकला शिवानी हरियाणा।

1/3 सुमित्रा आयु 51 वर्ष पुत्री गोविन्द सिंह पत्नी राजकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी झोटवाडो जयपुर।

1/4 कृष्णा आयु 48 वर्ष पुत्री गोविन्द सिंह पत्नी शिवकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी झोटवाडा जयपुर।

1/5 विद्या आयु 45 वर्ष पुत्री गोविन्द सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सांजरवास शिवानी हरियाणा।

1/6 बजरंग सिंह आयु 38 वर्ष पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

1/7 मंजू आयु 35 वर्ष पुत्री गोविन्द सिंह पत्नी नरेन्द्र जाति राजपूत निवासी दादी का फाटक जयपुर।

1/8 बिजेन्द्र सिंह आयु 32 वर्ष पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

1/9 संजू आयु 30 वर्ष पुत्री गोविन्द सिंह पत्नी ब्रहप्रकाश जाति राजपूत निवासी निवारू रोड जयपुर।

1/10/1 पूनम देवी आयु 25 वर्ष पत्नी नरेश सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/10/2 साक्षी आयु 6 वर्ष पुत्री नरेश सिंह।

1/10/3 विरेन सिंह आयु 4 वर्ष पुत्र नरेश सिंह जाति राजपूत निवासी पीपली जरिये वली कुदरती माता श्रीमती पूनम देवी पत्नी नरेश सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ताराचन्द पुत्र श्रीचन्द जाति खाती निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

2 आदराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

3 प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डुलानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री
दिनांक 17.05.2016 उपखण्ड
अधिकारी सूरजगढ़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री धर्मपाल सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीशचन्द्र अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री प्रमोद पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–30.08.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा वाद संख्या 74/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की और से भूमि खसरा नम्बर 541,599,542 में 1/2 हिस्से की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 2 आदराम ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त कर बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने गुणागुण पर सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय को वाद का जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तकनिकी बिन्दु पर निर्णय नही कर पक्षकारों के दुस्संयोजन को अधित्यजन कर साक्ष्य प्राप्त कर निर्णय पारित करना चाहिये था। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2007 (2) पेज 1295 डी.एन.जे राजस्थान 2009 (1) पेज 410 एवं डी.एन.जे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

राजस्थान 2014(3) पेज 62 के न्यायिक दृष्टांक प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर गुणागुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार आवश्यक पक्षकार थे अपीलांट ने इन्हे पक्षकार नही बनाया है विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के कुसंयोजन को मध्य नजर रखते हुये आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में तहसीलदार को पक्षकार नही बनाने पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार कर वाद खारिज किया है जबकि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2007(2) पेज 1294 में माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि पक्षकारों या वाद हेतु के दुसंयोजन की त्रुटि व त्रुटि होती है जिसका अधित्यजन किया जा सकता है और यह कोई ऐसी त्रुटि नही है जिसके फलस्वरूप संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र निरस्त करना होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही पाया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार को पक्षकार संयोजित करे प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त करें तद्नुसार तनकियात कायम करे उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणागुण पर प्रकरण में निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय में दिनांक 15.10.2018 को उपस्थित रहें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/8/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर